

कार्यालय आयुक्त कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।


संख्या <sup>उ-२०११</sup> / अनिवार्य वार्षिक स्थानान्तरण / 2017-18 दिनांक 10 जून 2018

प्रभारी,  
जिला सूचना एवं विज्ञान केन्द्र,  
नैनीताल।  
महोदय,

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अन्तर्गत इस कार्यालय के आदेश संख्या 2011/नौ-9/2017-18, दिनांक 10 जून 2018 तथा आदेश संख्या 2012/नौ-8/2017-18, दिनांक 10 जून 2018 की प्रति एवं मा. राजस्व परिषद् द्वारा नायब तहसीलदार/तहसीलदार के सम्बन्ध में उपलब्ध कराये विवरण की प्रति आपको इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया उक्त सूचना को आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट में डाउनलोड करने का कष्ट करें।

संलग्न उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

  
( संजय कुमार ),  
अपर आयुक्त,  
कृते आयुक्त।

## आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अन्तर्गत कुमाऊँ मण्डल में तैनात निम्न तहसीलदार जो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सुगम से दुर्गम हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता की श्रेणी में आते हैं, का स्थानान्तरण निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरण हेतु जनपद	अधिनियम की धारा जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया जा रहा है।
1	डा. अमृता सिंह, तहसीलदार	उधमसिंहनगर	बागेश्वर	अधिनियम की धारा 6-(क)

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के नियम 22 के अन्तर्गत उपरोक्त कार्मिक आदेश जारी होने के एक सप्ताह अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

दिनांक 10.06.2018


ह./  
राजीव रौतेला,  
आयुक्त।

कार्यालय आयुक्त कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।

संख्या 2011/नौ-9/2017-18, दिनांक 10 जून, 2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1--आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2--जिलाधिकारी उधमसिंहनगर।
- 3--जिलाधिकारी बागेश्वर।
- 4--श्रीमती अमृता सिंह, तहसीलदार, जनपद उधमसिंहनगर।

  
( संजय कुमार ),  
अपर आयुक्त,  
कृते आयुक्त।

